षोडश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-18.03.2017 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अरूण कुमार सिन्हा, स०वि०स०	"वर्ष 2009 से बिहार में लागू जे०पी० सेनानी सम्मान पेंशन योजना में दी जा रही राशि अन्य राज्यों से कम है । मध्य प्रदेश सरकार के अनुरूप क्रमशः 15,000/- रू० एवं 25,000/- रूपया लागू करते हुये अन्य राज्यों की भाँति जे०पी० सेनानी के परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, बिहार सरकार के राज्य पथ परिवहन के बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने, मीसा/डी०आई०आर० के अलावे अन्य धाराओं के अन्तर्गत जेल में बंद रहे जे०पी० आन्दोलनकारियों को जे०पी० सम्मान पेंशन देने, वैसे जे०पी० सेनानी की विधवाओं को भी जे०पी० सम्मान पारिवारिक पेंशन देने जो मीसा/डी०आई०आर० में बन्द थे, लेकिन पेंशन सूची में उनका नाम दर्ज नहीं था जबकि पेंशन पाने की अर्हता रखते थे । इसके अलावे जे०पी० आन्दोलन में जो लोग भूमिगत हो गये थे जिनका नाम पुलिस डायरी में नहीं है, उसे पता लगाकर उन्हें भी जे०पी० सम्मान पेंशन देने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।"	गृह

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री मो० नेमतुल्लाह, स०वि०स० श्री शकील अहमद खाँ, स०वि०स० श्री रामदेव राय, स०वि०स० श्री मो० आफाक आलम, स०वि०स०	"बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्रस्वीकृत सरकारी विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकार द्वारा सेवांत लाभ दिया जाता है, जबकि बिहार राज्य संस्कृत बोर्ड तथा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से प्रस्वीकृत सरकारी संस्कृत विद्यालयों एवं सरकारी मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सेवांत लाभ अब तक सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है । अतः बिहार राज्य संस्कृत बोर्ड तथा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से प्रस्वीकृत सरकारी संस्कृत विद्यालयों एवं सरकारी मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सेवांत लाभ दिये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-13/17- 1912-1924 /वि०स०, पटना, दिनांक-17 मार्च, 2017 ई० ।

प्रतिः- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्य मंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / गृह विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17.3.17
(अनिल कुमार जायसवाल)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-13/17- 1912-1924 /वि०स०, पटना, दिनांक-17 मार्च, 2017 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

17.3.17
(अनिल कुमार जायसवाल)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

17/3/17